A.F.R.

Neutral Citation No. 2023:AHC–LKO:71259

Court No. – 16

Case :– APPLICATION U/S 482 No. – 10623 of 2023

Applicant :– Swami Prasad Maurya

Opposite Party :– State Of U.P. Thru. Secy. Ministry Of Home And Another

Counsel for Applicant :– Saurabh Yadava, Divya

Counsel for Opposite Party :– G.A.

Hon'ble Subhash Vidyarthi J.

1. प्रार्थी के विद्वान अधिवक्तागण श्री जहाज सिंह कश्यप, श्री सौरभ यादव तथा श्री आलोक रंजन एवं विपक्षी– उत्तर प्रदेश राज्य की तरफ से विद्वान अतिरिक्त महाधिवक्ता श्री विनोद कुमार शाही, विद्वान शासकीय अधिवक्ता डा० विजय कुमार सिंह तथा विद्वान अतिरिक्त शासकीय अधिवक्ता प्रथम श्री अनुराग वर्मा को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

2. धारा 482 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत प्रस्तुत इस प्रार्थना पत्र द्वारा प्रार्थी ने मु०अ०सं० 80 सन् 2023 अन्तर्गत धारा 153, 295 , 298 तथा 505 भारतीय दण्ड संहिता, थाना कोतवाली नगर, जनपद प्रतापगढ़ के संदर्भ में प्रस्तुत आरोप पत्र संख्या–237 दिनांक 05.04.2023, उक्त के सन्दर्भ में विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट/विशेष न्यायाधीश एम.पी/एम.एल.ए प्रतापगढ़ द्वारा मुकदमा संख्या–11811 सन् 2023 में पारित आदेश दिनांक 12.07.2023, जिसके द्वारा उपरोक्त अपराध का संज्ञान लिया गया तथा प्रार्थी तथा सह–अभियुक्त राकेश कुमार वर्मा को विचारण हेतु तलब किया गया, तथा उपरोक्त आपराधिक वाद की सम्पूर्ण कार्यवाही को निरस्त किए जाने की प्रार्थना की है।

3. दिनांक 31.01.2023 को प्रार्थी – जो एक राजनीतिक दल का नेता है, डा० आर.के वर्मा– विधायक रानीगंज तथा कुछ अन्य नेतागण के विरुद्ध लिखाई गई प्रथम सूचना रिपोर्ट में कहा गया है कि अभियुक्तगण द्वारा एक राय होकर श्री राम चरित मानस की प्रतियां जलाई गई व समस्त ब्राह्मण संगठनों व हिन्दू समाज के प्रति गंदी–गंदी गालियां दी तथा अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करके समस्त मानस प्रेमियों के प्रति अभद्रता की गई, जिससे जन मानस में काफी आक्रोश उत्पन्न हुआ और अशांति का वातावरण उत्पन्न होने की आशंका उत्पन्न हुई।

4. विवेचना के दौरान शिकायतकर्ता ने विवेचक के समक्ष दिए गए अपने बयान से प्रथम सूचना रिपोर्ट के कथनों का समर्थन किया। गवाह विक्रम प्रताप सिंह तथा सुनील कुमार गुप्ता ने कहा कि प्रार्थी तथा अन्य नामित अभियुक्त के द्वारा श्री राम चरित मानस पर दिए गए बयान के कारण पूरे भारत में कुछ अन्य नेतागण ने एक राय होकर श्री राम चरित मानस की प्रतियां जलाई, धार्मिक स्थानों को अपवित्र किया और समस्त ब्राह्मण संगठनों व हिन्दू समाज के प्रति गंदी–गंदी गालियां दीं, अपमान जनक शब्दों का प्रयोग किया तथा समस्त मानस प्रेमियों के प्रति अभद्रता की, जिससे जन मानस में काफी आक्रोश एवं अशांति का वातावरण उत्पन्न हो गया, इस कारण से हिन्दू धर्म के विभिन्न वर्गों में शत्रुता एवं वैमनस्य का भाव पैदा हो गया।

5. विवेचना के दौरान शिकायतकर्ता ने विवेचक को एक पेन ड्राइव दी, जिसको देखने पर विवेचक ने पाया कि प्रार्थी द्वारा श्री राम चरित मानस की चौपाई "**ढोल गंवार सूद्र पसु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी**" व "**पूजिअ बिप्र सील गुन हीना, सूद्र न गुन गन ज्ञान प्रवीना।**" आदि चौपाइयों पर आपत्ति की गई। केस डायरी में विवेचक ने यह भी अंकित किया है कि उपरोक्त बयान लिखे जाने के बाद जब उसने वादी मुकदमा के घर जाकर उससे अन्य व्यक्तियों के संबंध में पूछताछ किया तो उसने बताया कि वह अन्य व्यक्तियों के बारे में नही जानता है, किन्तु नामित अभियुक्तगण द्वारा श्री राम चरित मानस पर बयान देने के परिणामस्वरूप ही पूरे प्रदेश में एक राजनैतिक दल के नेताओं एवं कार्यकर्ताओं द्वारा श्री राम चरित मानस की प्रतियां जलाई गई एवं अपमान किया गया, जिससे हिन्दू धर्म के विभिन्न वर्गों में शत्रुता एवं द्वेष की भावना पैदा हुई। विवेचक ने यह भी अंकित किया है कि अभियुक्तगण द्वारा कथित अपराध अपने विधान परिषद सदस्य एवं विधान सभा सदस्य के रूप में कर्तव्यों के निर्वहन करने के दौरान कारित नहीं किया गया है, अपितु राजनैतिक लाभ लेने के लिए कारित किया गया है।

6. विवेचना के उपरान्त विवेचक ने दिनांक 05.04.2023 को आरोप पत्र प्रस्तुत करते हुए कहा कि अभियुक्तगण द्वारा मीडिया एवं ट्विटर के माध्यम से श्री राम चरित मानस की चौपाइयों पर दिए गए बयान के कारण पूरे भारत में विरोध प्रदर्शन किया गया, जिसमें उनके कार्यकर्ताओं द्वारा श्री राम चरित मानस की प्रतियां जलाई गई एवं अपमानित किया गया, जिससे विभिन्न वर्गों में शत्रुता एवं वैमनस्य पैदा हुआ। अभियुक्तगण के विरुद्ध अपराध अन्तर्गत धारा 153, 295,298, 505 भा०दं०वि० बखूबी साबित है।

7. उक्त आरोप पत्र के अनुक्रम में विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट/विशेष न्यायाधीश एम.पी./एम.एल.ए प्रतापगढ़ ने मुकदमा संख्या–11811 सन् 2023 में दिनांक 12.07.2023 को आदेश पारित किया, जिसमें कहा गया है कि केस डायरी में उपलब्ध गवाहों के बयान अन्तर्गत धारा 161 दं०प्र०सं० तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य से अभियुक्तगण के विरुद्ध प्रथम दृष्टया अपराध अन्तर्गत धारा 153, 295, 298, 505 भा०दं०सं० कारित किया जाना दृष्टिगत होता है। इस आधार पर न्यायालय ने उपरोक्त अपराधों का संज्ञान लेते हुए अभियुक्तगण को विचारण हेतु तलब करने के लिए समन प्रेषित किए और उन्हें दिनांक 01.08.2023 को प्रस्तुत होने का आदेश दिया।

8. आरोप पत्र, संज्ञान तथा तलबी आदेश एवं कार्यवाही के निरस्तीकरण की प्रार्थना के समर्थन में प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने पहला तर्क दिया कि प्रथम सूचना रिपोर्ट अथवा किसी भी बयान या आरोप पत्र में कथित आरोप कारित होने की तिथि, समय अथवा स्थान अंकित नहीं किया गया है, जिससे आरोप अस्पष्ट हो जाते है।

9. प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता का अगला तर्क है कि पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री से कथित अपराधों का कारित किया जाना प्रथम दृष्टया प्रतीत नहीं होता है तथा संग्रहीत सामग्री के आधार पर प्रार्थी के विरुद्ध मुकदमा चलाए जाने का कोई आधार नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि श्री राम चरित मानस की प्रतियां जलाए जाने की बात किसी भी साक्षी ने अपने बयान में नहीं कही है।

10. प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने यह भी तर्क दिया कि प्रार्थी का कथन उसके स्वंय का कथन नहीं था तथा उसने मात्र श्री राम चरित मानस की चौपाइयों का उद्धरण दिया था।

प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने यह भी कहा कि प्रार्थी भारत का नागरिक है और संविधान के अनुच्छेद 19(1)(A) के अन्तर्गत उसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार प्राप्त है। प्रार्थी ने विवादित कथन अपने उपरोक्त मौलिक अधिकार के अन्तर्गत दिया था।

11. प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने अगला तर्क यह दिया कि प्रार्थी के विरुद्ध अभियोजन चलाए जाने की स्वीकृति केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार या जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नहीं दी गई है तथा ऐसी परिस्थिति में धारा 196 दं०प्र०सं० के प्रावधानों के अनुसार कोई भी न्यायालय धारा 505 के अधीन दण्डनीय अपराध का संज्ञान नहीं ले सकता है।

12. उक्त के उत्तर में विद्वान अतिरिक्त महाधिवक्ता तथा विद्वान अतिरिक्त शासकीय अधिवक्ता ने कहा कि विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा उठाए गए बिन्दु धारा 482 दं०प्र०सं० के अन्तर्गत इस न्यायालय को प्राप्त क्षेत्राधिकार की सीमाओं से परे हैं। धारा 482 दं०प्र०सं० के अन्तर्गत न्यायालय को लघु विचारण नहीं करना होता है तथा मात्र यह देखना होता है कि क्या अभियुक्तगण के विरुद्ध इस स्तर पर अभियोजन द्वारा कथित अपराधों के लिए विचारण चलाए जाने हेतु प्रथम दृष्टया मामला बन रहा है या नहीं । इस स्तर पर न्यायालय को न तो कथनों की सत्यता का परीक्षण करना होता है और न ही साक्ष्यों की विवेचना करनी होती है।

13. प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने **पी. ए. रंजीत बनाम पुलिस निरीक्षक, तिरुपनथल पुलिस स्टेशन और अन्य**, **सीआरएल. ओ.पी. (एमडी) नंबर 8893/2019 और सीआरएल एमपी (एमडी) नंबर 5643/2019 में मद्रास उच्च न्यायालय (मदुरै बेंच)** के माननीय एकल न्यायाधीश वाली एक पीठ के निर्णय दिनांक 12.11.2021 को प्रस्तुत किया, जहां याचिकाकर्ता ने राजा राजाराज चोल द्वारा शुरू की गई जाति व्यवस्था के बारे में एक सार्वजनिक बैठक में कहा कि चोल युग के शासन के कारण भूमि लोगों की जोत से ले ली गई थी और वे भूमिहीन गरीब हो गए थे; कि चोल युग ने देवदासी प्रणाली की शुरुआत की, जो वर्तमान स्थिति का मूल कारण था; कि वे मवेशियों को खा रहे हैं, जो समाज के अन्य वर्गों द्वारा पूजनीय है। उन्होंने कहा कि चोल युग इतिहास में काला युग है। वह जाति व्यवस्था का भी जिक्र कर रहे थे, जिसे राजनीतिक दलों द्वारा अपनाया गया है, जो जाति के आधार पर चुनाव के लिए उम्मीदवारी का नामांकन करते हैं। उन्होंने उपस्थित लोगों को डॉ. अंबेडकर की पुस्तक पढ़ने और उमर फारूक का अनुसरण करने की भी सलाह दी। उपरोक्त विशेष तथ्यों के दृष्टिगत मद्रास उच्च न्यायालय ने कहा कि याचिकाकर्ता ने केवल सिस्टम पर एक शिकायत व्यक्त की थी और उसे आपराधिक अभियोजन के लिए इससे आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है। उक्त निर्णय विशिष्ट तथ्यों पर आधारित हैं तथा प्रस्तुत प्रकरण में लागू होने वाला कोई सिद्धान्त इसमें प्रतिपादित नहीं किया गया है।

14. प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय **उत्तर प्रदेश राज्य बनाम ललई सिंह यादव**, **(1976) 4 SCC 213** को भी प्रस्तुत किया, जो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 99–ए के अन्तर्गत अंग्रेजी में प्रकाशित पुस्तक "**Ramayan – A True Reading**" और हिंदी में प्रकाशित इसके अनुवाद को जब्त करने के लिए पारित एक आदेश को उच्च न्यायालय द्वारा निरस्त किए जाने के आदेश के विरुद्ध अपील थी। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में धारा 99–ए की आवश्यकताओं का विश्लेषण किया। उक्त निर्णय में प्रतिपादित सिद्धांत प्रस्तुत प्रकरण के निर्णय में लागू नहीं होंगे क्योंकि यह विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि न्यायिक निर्णय विधि को विधायिका द्वारा बनाए गए

संविधियों के अनुसार नहीं पढ़ा जाना चाहिए, अपितु उन्हें उन तथ्यों के प्रकाश में ही पढ़ा जाना चाहिए, जिनके परिप्रेक्ष्य में वह निर्णय दिया गया है।

15. प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय **एस. वीराबद्रन चेट्टियार बनाम ई.वी. रामास्वामी नायकर**, **ए.आई.आर 1958 एस सी 1032** को भी प्रस्तुत किया, जिसमें आरोप यह था कि धार्मिक सुधारक होने का दावा करने वाले एक नेता ने टाउन हॉल में एक सार्वजनिक बैठक अपने भाषण में स्पष्ट रूप से कहा कि उनका इरादा भगवान गणेश की मूर्ति को तोड़कर हिंदू समुदाय की भावनाओं का अपमान करना था और उन्होंने टाउन हॉल मैदान में सार्वजनिक रूप से भगवान गणेश की मूर्ति को तोड़ दिया। शिकायत में आरोप लगाया गया कि भगवान गणेश की छवि को तोड़ने का उक्त कार्य हिंदू समुदाय के कुछ वर्गों की धार्मिक भावनाओं का अपमान करने के इरादे से किया गया था, जो भगवान गणेश को पूजा में रखते हैं, और शिकायत किए गए कार्य भारतीय दंड संहिता की धारा 295 और 295–ए के अंतर्गत अपराध हैं। मजिस्ट्रेट ने आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 203 के अंतर्गत शिकायत को खारिज करते हुए कहा कि आरोपी द्वारा कथित तौर पर तोड़ी गई गणेश की मिट्टी की आकृति पवित्र नहीं है तथा इसकी किसी भी वर्ग के व्यक्तियों द्वारा पूजा नहीं की जाती थी। मजिस्ट्रेट ने यह भी कहा कि सिर्फ इसलिए कि यह आकृति भगवान गणेश से मिलता–जुलता था तथा एक वर्ग द्वारा पूजा में रखा गया था, यह पवित्र मानी जाने वाली वस्तु नहीं बन सकता है तथा अगर कोई व्यक्ति ऐसी मूर्ति के साथ छेड़छाड़ करता है तो यह अपराध नहीं है। सत्र न्यायालय और उच्च न्यायालय ने मजिस्ट्रेट के निर्णय को निरस्त नहीं किया।

16. अपील में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि नीचे के न्यायालय में विद्वान न्यायाधीश ने "*किसी भी वर्ग के व्यक्तियों द्वारा पवित्र मानी जाने वाली किसी भी वस्तु*" शब्दों को यह कहते हुए कि केवल मंदिरों में मूर्तियों या त्योहारों के अवसरों पर जुलूस में ले जाने वाली मूर्तियों को उन शब्दों में शामिल किया जाना है, बहुत सीमित अर्थ दिया है। भारतीय दंड संहिता की धारा 295 में अर्थों को सीमित करने के ऐसे कोई स्पष्ट शब्द नहीं हैं, और विद्वान न्यायाधीश ने स्पष्ट रूप से सीमा के उन शब्दों को प्रयोग करने में गलती की है। बाइबल या कुरान या गुरु ग्रंथ साहिब जैसी पवित्र पुस्तकें भी स्पष्ट रूप से उन सामान्य शब्दों के दायरे में है। यदि अधीनस्थ न्यायालय धारा 295 में महत्वपूर्ण शब्दों की अपनी व्याख्या में सही थे, तो ऐसी पवित्र पुस्तकों को जलाना या अन्यथा नष्ट करना या अपवित्र करना, दंड क़ानून के दायरे में नहीं आएगा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि इस तरह की सीमित व्याख्या विधियों की व्याख्या के सभी सुस्थापित सिद्धांतों के विरुद्ध है। कोई भी वस्तु, चाहे वह कितनी भी तुच्छ क्यों न हो, यदि किसी भी वर्ग के व्यक्तियों द्वारा पवित्र मानी जाती है, तो वह दंड धारा के अर्थ के अंतर्गत आती है। यह बिल्कुल आवश्यक नही है कि वस्तु पवित्र होने के लिए वास्तव में उसकी पूजा की जानी चाहिए थी। किसी वस्तु को व्यक्तियों के एक वर्ग द्वारा उनके द्वारा पूजा किए बिना भी पवित्र माना जा सकता है। इस धारा का उद्देश्य विभिन्न धर्मों या पंथों के व्यक्तियों की धार्मिक मान्यताओं का सम्मान करना है। न्यायालयों को ऐसे मामलों में बहुत सतर्क रहना होगा, और विभिन्न विश्वासों वाले व्यक्तियों के विभिन्न वर्गों की भावनाओं और धार्मिक भावनाओं का उचित ध्यान देना होगा, भले ही वे उन मान्यताओं को साझा करते हों या नहीं, या वे न्यायालय की राय में तर्कसंगत हैं या नहीं।

17. उपरोक्त निर्णय किसी भी तरह से आवेदक के मामले में मदद नहीं करता है, अपितु इसमें कहे गये सिद्धान्त प्रथम दृष्टया प्रार्थी को आरोपित करने के आधार प्रदान करते हैं।

18. प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **चक्र बेहरा बनाम बालकृष्ण महापात्र, एआईआर 1963 उड़ीसा 23** में दिए गए निर्णय को प्रस्तुत किया, जिसमें याचिकाकर्ताओं को धारा 298 भा०दं०सं०. के अन्तर्गत इस आरोप पर दोषी ठहराया गया था और 15 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई थी, कि उन्होंने ग्रामीणों की धार्मिक भावनाओं को चोट पहुंचाने के इरादे से अशुभ दिनों में दो देवताओं की पूजा की। माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा कि यदि कोई अनधिकृत व्यक्ति किसी अशुभ दिन पर किसी मंदिर में पूजा करता है, तो यह कुछ परिस्थितियों में अन्य व्यक्तियों के नागरिक अधिकारों का अतिक्रमण हो सकता है, लेकिन याचिकाकर्ताओं को धारा 298 भा०दं०सं० के अन्तर्गत अपराध का दोषी ठहराने के लिए अभियोजन पक्ष को सकारात्मक रूप से स्थापित करना होगा कि यह कृत्य उनकी धार्मिक भावनाओं को चोट पहुंचाने के इरादे से किया गया था। याचिकाकर्ताओं ने अपने पुजारी के माध्यम से उचित तरीके से पूजा की। किए गए अनुष्ठानों में कोई कार्य नहीं था जो संभवतः किसी अन्य व्यक्ति की भावनाओं को चोट पहुंचा सकता था। पूजा करते समय याचिकाकर्ताओं के धार्मिक उत्साह को कभी चुनौती नहीं दी गई। वे देवताओं को प्रसन्न करना चाहते थे, क्योंकि गांव में मवेशियों की बीमारी का प्रसार था। उनकी कार्रवाई चाहे कितनी भी अनधिकृत क्यों न हो, उनका किसी भी अन्य सह–ग्रामीणों की धार्मिक भावनाओं को चोट पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था।

19. उपरोक्त निर्णय भी प्रकरण के विशेष तथ्यों पर आधारित है तथा अभियुक्तों की दोषसिद्धि उच्च न्यायालय ने इस आधार पर निरस्त किया कि उन्होंने उचित तरीके से पूजा करके देवताओं को प्रश्न करने की चेष्टा की थी। उक्त निर्णय प्रस्तुत मामले के तथ्यों पर लागू नहीं होता है तथा इसका लाभ प्रार्थी को नहीं मिलेगा।

20. इसके उत्तर में विद्वान अतिरिक्त महाधिवक्ता ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय **कर्णाटक राज्य बनाम एम देवेन्द्रप्पा, (2002) 3 एससीसी 892**, को प्रस्तुत किया जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि संहिता की धारा 482 के अंतर्गत शक्ति का प्रयोग अपवाद है न कि नियम। यह धारा उच्च न्यायालय को कोई नई शक्तियां प्रदान नहीं करती है। यह केवल उस अंतर्निहित शक्ति को बचाता है जो संहिता के अधिनियमन से पहले न्यायालय के पास थी। इसमें तीन परिस्थितियों की परिकल्पना की गई है जिनके अंतर्गत अंतर्निहित अधिकार क्षेत्र का प्रयोग किया जा सकता है, अर्थात्,

(i) संहिता के अंतर्गत पारित किसी आदेश को प्रभावी बनाने के लिए,

(ii) न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए, और

(iii) अन्यथा न्याय के उद्देश्यों को सुरक्षित करने के लिए।

अंतर्निहित क्षेत्राधिकार के प्रयोग को नियंत्रित करने के लिए कोई नियम बनाना न तो संभव है और न ही वांछनीय है। संहिता की धारा 482 के अंतर्गत उच्च न्यायालय के पास जो शक्तियां हैं, वे बहुत व्यापक हैं और इसके प्रयोग में बहुत सावधानी की आवश्यकता होती है। न्यायालय को यह सुनिश्चित करने के लिए सावधान रहना चाहिए कि इस शक्ति का प्रयोग करने में उसका निर्णय ठोस सिद्धांतों पर आधारित है। एक वैध अभियोजन को समाप्त करने के लिए अंतर्निहित शक्ति का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। किसी राज्य का सर्वोच्च न्यायालय होने के नाते उच्च न्यायालय को आम तौर पर ऐसे मामले में प्रथम दृष्टया निर्णय देने से बचना चाहिए जहां पूरे तथ्य अधूरे और धुंधले हैं, खासकर जब साक्ष्य एकत्र नहीं किए गए हैं और न्यायालय के समक्ष

पेश नहीं किए गए हैं और इसमें शामिल मुद्दे पर्याप्त सामग्री के बिना उनके वास्तविक परिप्रेक्ष्य में नहीं देखे जा सकते हैं।

21. माननीय सर्वोच्च न्यायालय के एक अन्य निर्णय **केंद्रीय जांच ब्यूरो बनाम आर्यन सिंह आदि, 2023 एससीसी ऑनलाइन एससी 379** में अवधारित है कि धारा 482 दं०प्र०सं० के अंतर्गत शक्तियों का उपयोग करते हुए न्यायालय को लघु विचारण (मिनी ट्रायल) करने की आवश्यकता नहीं है। इसमें अभियोजन/जांच एजेंसी को आरोपों को साबित करने की आवश्यकता नहीं है। दं०प्र०सं० की धारा 482 के अंतर्गत शक्तियों का उपयोग करते समय न्यायालय के पास बहुत सीमित अधिकार क्षेत्र है और मात्र यह विचार करने की आवश्यकता है कि "क्या आरोपी के विरुद्ध आगे बढ़ने के लिए कोई पर्याप्त सामग्री उपलब्ध है, जिसके लिए आरोपी पर मुकदमा चलाने की आवश्यकता है या नहीं"।

22. **बृंदा करात बनाम राज्य (एनसीटी दिल्ली), 2022 एससीसी ऑनलाइन दिल्ली 1775 पृष्ठ 162**, में दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा कि एक नेता द्वारा जो भी कार्य किया जाता है, आम आदमी उसके पदचिन्हों पर चलता है और जो भी मानक वह अपने कृत्यों से निर्धारित करता है, उसका अनुसरण उसके अनुयायियों द्वारा किया जाता है। जो लोग जन नेता हैं और उच्च पदों पर आसीन हैं, उन्हें अत्यंत ईमानदारी और उत्तरदायित्व के साथ व्यवहार करना चाहिए। भारत जैसे लोकतंत्र में चुने गए नेताओं की जिम्मेदारी न केवल अपने निर्वाचन क्षेत्र के मतदाताओं के प्रति है, बल्कि पूरे समाज /राष्ट्र और संविधान के प्रति भी है। इस प्रकार नेताओं को ऐसे कृत्यों या भाषणों में शामिल होना शोभा नहीं देता है जो समुदायों के बीच दरार पैदा करते हैं, तनाव पैदा करते हैं, और समाज में सामाजिक ताने–बाने को बाधित करते हैं।

23. यद्यपि **धारा 482 दं०प्र०सं०** के अन्तर्गत आरोप पत्र के निरस्तीकरण की प्रार्थना तय करते समय इस न्यायालय को मामले के गुण–दोष पर विचारण नहीं करना होता है तदापि चूंकि प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क किया है कि प्रार्थी ने मात्र श्री राम चरित मानस की चौपाइयों का उद्धरण देते हुए विवादित कथन किया था तथा उसको संविधान के अनुच्छेद 19 (1)(A) के अन्तर्गत ऐसा कथन करने का मौलिक अधिकार था, यह स्पष्ट करना आवश्यक हो जाता है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 उचित प्रतिबंधों के साथ भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान करता है। उचित प्रतिबंधों में सार्वजनिक व्यवस्था, शालीनता या नैतिकता या न्यायालय की अवमानना, मानहानि या अपराध के लिए उकसाना शामिल है। नफरत फैलाने वाले भाषण संप्रदाय विशेष के खिलाफ अपराधों को भी उकसाते हैं। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार किसी भी व्यक्ति को यह अधिकार नहीं देता है कि वह ऐसा कोई कृत्य करे जो एक दंडनीय अपराध की श्रेणी में आ सकता हो।

24. जहां तक प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता का यह कथन है कि प्रार्थी ने श्री राम चरित मानस की चौपाइयों का उद्धरण करते हुए कोई असत्य बात नहीं कही थी, न्यायालय का मत है कि किसी भी ग्रंथ/अभिलेख में किए गए कथन सही परिप्रेक्ष्य में ही पढ़े तथा रखे जाने चाहिए तथा कहीं से भी कोई एक अंश बिना सम्पूर्ण संगत तथ्यों के रखना सम्पूर्ण सत्य कथन नहीं है तथा कुछ परिस्थितियों में ऐसा कथन असत्य कथन भी हो सकता है। उदाहरण के लिए कोई भी विधि अथवा विधिक प्राविधान अथवा न्यायिक निर्णय भी हमेशा पूरे ही पढ़े जाते है तथा विधि के प्रावधानों का अथवा न्यायिक निर्णयों का कोई अंश बिना, उसके समस्त संगत प्रावधानों के नहीं प्रस्तुत किया जा सकता है। इसी प्रकार जब श्री राम चरित मानस की कोई

चौपाई उद्धरित की जाए तो यह अनिवार्य है कि यह भी ध्यान में रखा जाए कि उसमें कहा कथन किस पात्र ने कैसी परिस्थिति में किस व्यक्ति से कहा।

25. प्रार्थी द्वारा कही गई चौपाई **'ढोल गंवार सूद्र पसु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी'** समुद्र ने श्री रामचंद्र जी से इस आशय के साथ कही कि वह स्वयं एक जड़–बुद्धि है तथा वह इस कारण से की गई भूल की क्षमा मांग रहा है ऐसी परिस्थिति में स्वयं को जड़–बुद्धि मानने वाले एक पात्र द्वारा कहा गया कथन जब समस्त संगत तथ्यों के संदर्भ के बिना प्रस्तुत किया जाता है तो यह सत्य का सही विरुपण नहीं कहा जा सकता है।

26. उक्त चौपाई की व्याख्या करते हुए कुछ विद्वानों ने कहा है कि यहां 'ताड़न' शब्द का अर्थ सीख अथवा शिक्षा देना है तथा चौपाई का सही अर्थ यह है कि इसमें कहे गए सभी प्रकार के पात्र भी सीख (शिक्षा) पाने के अधिकारी है।

27. इसी प्रकार से दूसरी विवादित चौपाई "**पूजिअ बिप्र सील गुन हीना, सूद्र न गुन गन ज्ञान प्रवीना**" के विषय में भी विद्वानों के विभिन्न मत हैं। विशेषतः विप्र के अर्थ को लेकर कुछ विद्वानों का मानना है कि विप्र से तात्पर्य ऐसे व्यक्तियों से है जिन्हें ब्रह्म ज्ञान है तथा यह किसी जाति विशेष में जन्म लिए व्यक्तियों को इंगित नहीं करता है।

28. प्रार्थी का मत इससे भिन्न हो सकता है, क्योंकि यह सही है कि प्रार्थी को भी अन्य व्यक्तियों की तरह उक्त ग्रंथ की अपनी एक स्वतंत्र समीक्षा करने का अधिकार है, किन्तु स्वतंत्र समीक्षा अथवा स्वस्थ आलोचना का तात्पर्य यह नहीं है कि ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाए जिससे लोग अपराध कारित करने को प्रेरित होने लगें।

29. जहां तक प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट, बयान अथवा आरोप पत्र में आरोप की तिथि, समय व स्थान अंकित नहीं किया गया है, यह कमियां आरोप पत्र के निरस्तीकरण का आधार नहीं हो सकती हैं, क्योंकि इस स्तर पर न्यायालय को मात्र यह देखना है कि क्या प्रथम दृष्टया आरोप कारित होना प्रतीत होता है और अभियुक्तगण के विचारण का पर्याप्त आधार है अथवा नहीं।

30. प्रार्थी के विरुद्ध धारा 153, 295, 298, 505 भा०दं०सं० के अपराध कारित करने का आरोप, जिनके प्राविधान निम्नवत हैः–

> "***धारा 153 :–बल्वा कराने के आशय से स्वैरिता से प्रकोपन देना – यदि बल्वा किया जाए– यदि बल्वा न किया जाए*** *— जो कोई अवैध बात करने द्वारा किसी व्यक्ति को परिद्वेष से या स्वैरिता से प्रकोपित इस आशय से या यह सम्भाव्य जानते हुए करेगा कि ऐसे प्रकोपन के परिणामस्वरूप बल्वे का अपराध किया जाएगा, यदि ऐसे प्रकोपन के परिणामस्वरूप बल्वे का अपराध किया जाए, तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, और यदि बल्वे का अपराध न किया जाए, तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक को हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा।*
>
> ***धारा 295 :–किसी वर्ग के धर्म का अपमान करने के आशय से उपासना के स्थान को क्षति करना या अपवित्र करना–*** *जो कोई किसी उपासना के स्थान को या व्यक्तियों के किसी वर्ग द्वारा पवित्र मानी गई किसी वस्तु को नष्ट, नुकसानग्रस्त या अपवित्र इस आशय से करेगा कि किसी वर्ग के धर्म का तदद्वारा अपमान किया जाए या यह सम्भाव्य जानते हुए करेगा कि व्यक्तियों का कोई वर्ग ऐसे नाश, नुकसान या अपवित्र किए जाने को अपने धर्म के प्रति अपमान समझेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा।*

<u>धारा 298 :–धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाने के विमर्शित आशय से शब्द उच्चारित करना आदि</u>– *जो कोई किसी व्यक्ति की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाने के विमर्शित आशय से उसकी गोचरता में कोई शब्द उच्चारित करेगा या कोई ध्वनि करेगा या उसकी दृष्टिगोचरता में, कोई अंगविक्षेप करेगा, या कोई वस्तु रखेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो, सकेगी, या जुमाने से, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा।*

<u>धारा 505 :– लोक रिष्टि–कारक वक्तव्य</u>–

(1) जो कोई किसी कथन, जनश्रुति या रिपोर्ट को –

(क) इस आशय से किया जिससे यह सम्भाव्य हो कि, भारत की सेना, नौसेना या वायुसेना का कोई ऑफीसर, सैनिक (नाविक या वायुसैनिक) विद्रोह करे या अन्यथा वह अपने उस नाते अपने कर्तव्य की अवहेलना करे, या उसके पालन में असफल रहे, अथवा

(ख) इस आशय से कि, या जिससे यह सम्भाव्य हो कि, लोक के किसी भाग को ऐसा भय या संत्रास कारित हो जिससे कोई व्यक्ति राज्य के विरुद्ध या लोक प्रशान्ति के विरुद्ध अपराध करने के लिए उत्प्रेरित हो, अथवा

(ग) इस आशय से कि, या जिससे यह सम्भाव्य हो कि, उससे व्यक्तियों का कोई वर्ग या समुदाय किसी दूसरे वर्ग या समुदाय के विरुद्ध अपराध करने के लिए उद्यौश किया जाए, रचेगा, प्रकाशित करेगा या परिचालित करेगा, वह कारावास से, जो तीन वर्ष तक का हो सकेगा, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा।

(2) विभिन्न वर्गों में शत्रुता, घृणा या वैमनस्य पैदा या सम्प्रवर्तित करने वाले कथन. *जो कोई जनश्रुति या संत्रासकारी समाचार अन्तर्विष्ट करने वाले किसी कथन या रिपोर्ट को इस आशय से कि, या जिससे यह सम्भाव्य हो कि, विभिन्न धार्मिक, मूलवंशीय, भाषाई या प्रादेशिक समूहों या जातियों या समुदायों के बीच शत्रुता, घृणा या वैमनस्य की भावनाएं, धर्म, मूलवंश, जन्म स्थान, निवास स्थान, भाषा, जाति या समुदाय के आधारों पर या अन्य किसी भी आधार पर पैदा या संप्रवर्तित हो, रचेगा, प्रकाशित करेगा, या परिचालित करेगा, वह कारावास से, जो तीन वर्ष तक का हो सकेगा, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा।*

(3) पूजा के स्थान आदि में किया गया उपधारा (2) के अधीन अपराध. *– जो कोई उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट अपराध किसी पूजा के स्थान में या किसी जमाव में, जो धार्मिक पूजा या धार्मिक कर्म करने में लगा हुआ हो, करेगा, वह कारावास से जो पांच वर्ष तक का हो सकेगा, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।*

अपवाद.– ऐसा कोई कचन, जनश्रुति या रिपोर्ट इस धारा के अर्थ के अन्तर्गत अपराध की कोटि में नहीं आती, जब उसे रचने वाले, प्रकाशित करने वाले या परिचालित करने वाले व्यक्ति के पास इस विश्वास के लिए युक्तियुक्त आधार हो कि ऐसा कथन, जनश्रुति या रिपोर्ट सत्य है और वह उसे सद्भावपूर्वक तथा पूर्वोक जैसे किसी आशय के बिना] रचता है, प्रकाशित करता है या परिचालित करता है।)"

31. जब हम धारा 482 दं०प्र०सं० के अंतर्गत न्यायालय को प्राप्त क्षेत्राधिकार की सीमाओं में रहते हुए मामले के तथ्यों को देखते हैं तो प्रथम दृष्टया यह प्रतीत होता है कि प्रार्थी द्वारा श्री राम मानस पर दिए गए बयान के कारण पूरे भारत में कुछ अन्य नेतागण ने एक राय होकर श्री राम चरित मानस की प्रतियां जलाई और समस्त ब्राह्मण संगठनों व हिन्दू समाज के प्रति गंदी–गंदी गालियां दीं, अपमान जनक शब्दों का प्रयोग किया तथा समस्त मानस प्रेमियों के प्रति अभद्रता की। इस कारण से जन मानस में काफी आक्रोश एवं अशांति का वातावरण उत्पन्न हो गया तथा हिन्दू धर्म के विभिन्न वर्गों में शत्रुता एवं वैमनस्य का भाव पैदा हो गया।

32. प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि प्रार्थी के उपरोक्त तथ्यों से लोगों में बलवा कराने का प्रकोपन उत्पन्न हुआ। उक्त कृत्यों से श्री राम चरित मानस, जो एक बड़े वर्ग द्वारा पवित्र ग्रंथ माना जाता है, को जला कर नुकसान पहुँचाया गया तथा उसका अपमान किया

गया, जिसे एक बड़े वर्ग ने अपने धर्म का अपमान माना। प्रार्थी द्वारा कहे गए कथन प्रथम दृष्टया इस आशय से कहे गए प्रतीत होते हैं या उसके कथनों से यह संभाव्य प्रतीत होता है कि उससे व्यक्तियों का एक वर्ग दूसरे वर्ग के विरुद्ध अपराध करने के लिए उद्दीप्त हो जाए। अतः प्रथम दृष्टया प्रार्थी द्वारा धारा 153, 295, 298 तथा 505(1)(ग) भा०दं०सं० के अन्तर्गत अपराध का कारित होना प्रतीत होता है।

33. प्रार्थी कथित आरोपों के लिए दोषी है या नहीं, यह इस न्यायालय को इस स्तर पर नहीं देखना है और यह विचारण के दौरान साक्ष्य लेकर विचारण न्यायालय तय करेगा।

34. प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि धारा 196 दं०प्र०सं० के अन्तर्गत केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार अथवा जिला मजिस्ट्रेट की स्वीकृति के बिना प्रार्थी के विरुद्ध अभियोजन नहीं चलाया जा सकता है।

35.धारा 196 (1–क)(क) प्राविधानित करती है कि कोई न्यायालय भा०दं०सं०, 1860 की धारा 153(ख) या धारा 505 की उप–धारा (2) या उप–धारा (3) के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का संज्ञान केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या जिला मजिस्ट्रेट की पूर्व स्वकृति से ही लेगा अन्यथा नहीं। प्रार्थी के विरुद्ध कथित अपराध धारा 505 की उप–धारा(1) के अधीन आते हैं तथा उक्त अपराध के लिए धारा 196 में अभियोजन स्वीकृति लेने की आवश्यकता नहीं है। अतः प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क भी बलहीन है।

36. उपरोक्त समीक्षा के दृष्टिगत न्यायालय का यह मत है कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 482 दं०प्र०सं० बलहीन है।

37. तदनुसार, प्रार्थना पत्र **निरस्त** किया जाता है।

38. यह स्पष्ट किया जाता है कि विचारण न्यायालय प्रकरण को गुण–दोष के आधार पर, साक्ष्यों तथा विधि के अनुसार इस आदेश में कहे गए किसी भी तथ्य से प्रभावित हुए बिना निर्णीत करेगा।

(Subhash Vidyarthi, J.)

Order Date :– 31.10.2023
Himanshu

Digitally signed by :-
HIMANSHU SHUKLA
High Court of Judicature at Allahabad,
Lucknow Bench